फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला–उदयपुर

(प्रा)र्थी :– श्री नानुसिंह | विपक्षी :– राज्य सरकार

केस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 65/23

(क्र)मांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 08.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार कानोड से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपरीकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण की माता का नाम राजस्व रेकर्ड में नीम कुवर पुत्री उदयसिंह अंकित है लेकिन अन्य सभी दस्तावेजो में लीम्बा देवी पत्नि गोपाल सिंह पुत्री उदयसिंह है। प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थीगण की माता का नाम सहवन से राजस्व रेकर्ड में नीम कुवर पुत्री उदयसिंह अंकित हो गया है जिसे संशोधित कर नीम कुंवर पुत्री उदयसिंह के बजाय लीम्बा देवी पुत्री उदय सिंह पत्नि गोपाल सिंह किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि वादीगण की माता स्व. नीमकुंवर पुत्री उदय सिंह राजपूत के नाम मौजा उम्मेदपुरा की नवीन जमाबंदी सम्वत 2078–81 के खाता संख्या 54 आ कित्ता 20 रकबा 4.69 में नीम कुंवर पुत्री उदयसिंह हिस्सा 1/30 जाति राजपूत सा. उम्मेदपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। वादीगण की माता का पीहर मौजा उम्मेदपुरा तहसील कानोड में है तथा विवाह ग्राम गुन्दली तहसील भोपालसागर जिला चित्तौडगढ में गोपालसिंह राजपूत के साथ हुआ था तथा वर्तमान में दोनो पति पत्नी का स्वर्गवास हो चुका हैं। कार्यालय ग्राम पंचायत गुन्दली द्वारा मृतक खातेदार नीमकुवर पुत्री उदयसिंह पत्नी गोपालसिंह राजपूत के बारे में नीमकुंवर एवं लीम्बादेवी दोनो नाम से जाने का प्रमाणपत्र ताईद में संलग्न है। मौजा उम्मेदपुरा के मौतबिरान से जानकारी लेने पर जाहिर आया कि वादीगण की माता नीमकुंवर पुत्री उदयसिंह को ग्राम में नीमकुंवर एवं लीम्बादेवी दोनो नामों से जाना पहचाना जाता है। प्रकरण में सहखातेदारो का सहमति पत्र भी पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, सहखातेदार श्री नीमसिंह पिता उदयसिंह का शपथ पत्र व कार्यालय ग्राम पंचायत गुन्दली का प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसमें प्रमाणित किया गया कि लिम्बा देवी पत्नि गोपाल सिंह को लिम्बा देवी एवं नीम कुंवर दोनों नाम से जानी जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन, प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज व तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा उम्मेदपुरा (पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत [illegible]–81 की खाता संख्या नया 54 व खाता संख्या नया 55 [illegible] नीमकुंवर पुत्री उदयसिंह के बजाय लिम्बा देवी पुत्री [illegible] जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 15:58:54 IST
Reason: SelfAttested